

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
95 / 2024

दायर दिनांक
05.06.2024

निर्णय दिनांक
14.06.2024

अनवान

1. नाराण पुत्र नाथु जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रामलाल पुत्र भवाना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र नाथू जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. प्रेमी पुत्री भवाना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
3. बंशीलाल पुत्र भवाना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. भैरूलाल पुत्र भवाना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भुरी बाई पत्नी भवाना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. दल्ला पुत्र किशना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मांगीलाल पुत्र किशना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. जमना पिता भगवान लाल जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. भगवान पुत्र परथा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. मदन पुत्र रामलाल जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. उदयलाल पुत्र रामचन्द्र जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. भैरु पुत्र रामचन्द्र जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. राधाकिशन पुत्र किशोर जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not for



प्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री अभय कुमार चपलोत
एक तरफा

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जूनाकीरखेडा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 33 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 378, 385, 387, 446/86, 86, 88 कुल किता 06 कुल रकबा 1.08 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के सहखातेदारी तथा खाता संख्या 54 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 388, 460/86, 87 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 53 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 377, 384 कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 के सहखातेदारी व कब्जे काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 सहखातेदार है तथा शेष अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 14.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 13 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा जूनाकीरखेडा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 33 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 378, 385, 387, 446/86, 86, 88 कुल किता 06 कुल रकबा 1.08 हैक्ट0, खाता संख्या 54 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 388, 460/86, 87 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 53 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 377, 384 कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन



सत्यमेव जयते